न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –जगदीश आर्य

निगरानी संख्या 44 / 2022 तारीख रजू 01.07.2022

1. प्रमोद सिंह राजावत पुत्र जसवंत सिंह राजपूत निवासी गंगवाडा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

.....निगरानीकार

बनाम

1. कुलदीप सिंह पुत्र नारायण सिंह राजपूत निवासी गंगवाडा, बौंली, जिला सवाई माधोपुर
2. ग्राम पंचायत बांस का टोरडा जरिये सरपंच।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित – वकील निगरानीकार श्री श्याम मोहन शर्मा एडवोकेट
वकील अप्रार्थी संख्या 1 श्री राधेश्याम वैष्णव एडवाकेट

निर्णय दिनांक 03.07.2024

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अधीन धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.07.2017 एवं पटटा संख्या 07 दिनांक 05.07.2017 ग्राम पंचायत बांस का टोरडा तहसील बौंली के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अदालत मातेहत का निर्णय विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के कतई विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के तहत नोटिस सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित कराकर इस नोटिस को 148(2) के तहत दो प्रतियों में सहज स्थान पर लगाई जाने चाहिये थे तथा दूसरी प्रति पर कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर प्रमाणीस्वरूप करवाऐ जाने चाहिए थे लेकिन अदालत मातेहत द्वारा ना तो उक्त नोटिस को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया ना ही इस बाबत कोई दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराये है। यह कि सम्पूर्ण पत्रावली में दस्तावेजात के देखने से स्पष्ट मालूम चलता है कि टाईप शुदा प्रफोर्मा हाथ से भरकर साईक्लोस्टाईल में भरा गया है जिससे ग्राम पंचायत के अधिकारियों से साज कर स्वयं की मनमर्जी से उक्त आदेश पारित किये है। ग्राम पंचायत में पेश किये गये प्रार्थना पत्र मं कही भी यह नहीं दर्शाया गया है कि किस वर्ष से वह भूखण्ड पर काबिज है तथा वह कब्जे में कैसे आया ना ही यह अंकित किया है कि विवादित प्लाट पर क्या निर्माण हो रहा है व कितना निर्माण है। यह कि ग्रांम पंचायत द्वारा गैर निगरानी कर्ता का मौके पर कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं ली है ना ही अडोसी–पडौसियों के बयान लिये है ना ही किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान लिये है। यह कि अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि उसके उक्त प्लाट की

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नीलामी से युक्तियुक्त भूखण्ड प्राप्त नहीं होगा इस बारे में कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की है। यह कि अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि अपना आदेश पारित करने से पूर्व दीर्घ आधिपत्य होने के बारे में गैर निगरानीकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ना ही भूमि का प्रचलित समय निर्धारित किया जो कि प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह कि वास्तविकता में मौका रिपोर्ट को मौके पर नहीं जाकर ग्राम पंचायत भवन में बैठकर तैयार की गई है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है जिस पर किसी स्वतंत्र गवाह, अडौसी पडौसी के हस्ताक्षर नहीं है व मौके पर मौके पर निर्माण की स्थिति का उल्लेख नहीं है। यह कि सम्पूर्ण पत्रावली में सम्पूर्ण इबारत एक ही पेन से एक ही दिन लिखी गई किसी भी इबारत व स्याही में कोई अन्तर नहीं है जिससे स्पष्ट पता चलता है कि उक्त समस्त कार्यवाही मिथ्या एवम् फर्जी तरीके से की गई है। यह कि अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि गैर निगरानीकार ने अपने प्रार्थना पत्र में पक्का मकान का पट्टा बनाने बाबत लिखा है लेकिन मौका रिपोर्ट में कोई पक्का मकान ही नहीं है। यह कि दिनांक 06.06.17 को मौका रिपोर्ट फर्जी एवम मिथ्या है जो कि ग्राम पंचायत में बैठकर साज बाज कर बनाई गई है मौका रिपोर्ट में कही भी मौके पर हुये निर्माण का उल्लेख नहीं है पक्का मकान कितना बना है एक मंजिला है या दो मंजिला या आधा बना हुआ है यही उक्त पर मौका देखने पर उपलब्ध अडौसी पडौसी व स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर है। यह कि अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा दुर्गासिंह व ओमसिंह ने 05.06.17 को दर्ज बयान पूर्व में टाईप शुदा खाली रिक्त स्थान हो गये प्रोफार्मा पर है जिसमें कही भी यह अंकित नहीं है कि उक्त बयान किस के बारे में दिये जा रहे है कौनसी जगह है कितना निर्माण है तथा कितने वर्ष से कब्जा है। यह कि अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि कुलदीप सिंह, दुर्गासिंह व ओम सिंह के पत्रावली में पेश शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा बिना प्रमाणित शपथ पत्र पर विश्वास कर अदालत मातेहत ने अहम भूल की है। यह कि अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि नियम 157 के तहत नियमों के प्रभावी होने के बाद आबादी भूमि पर अतिक्रमण करना व उसका नियमितीकरण नही कराया जा सकता है। यह कि निगरानीकार को गैर निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत से साज बाज कर गलत एवं मिथ्या प्रकार से तथ्यों को छिपाकर लिये गये उक्त आदेश एवं पटटे के बारे में मालूम नहीं था लेकिन दिनांक 12.06.2022 को गैर निगरानीकार द्वारा मौके पर आकर निर्माण कार्य करने पर आमादा होने तथा निगरानीकार द्वारा रोकने पर गैर निगरानीकार द्वारा अपने पटटे के बारे में बताया जिस पर दिनांक 13.06.2022 को ग्राम पंचायत से नकल प्राप्त करने पर निगरानी पेश करना लाजिमी आया। अतः निगरानी स्वीकार कर अदालत मातेहत का निगरानी आदेश एवं पटटा निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा पटटा दिये जाने हेतु ग्राम पंचायत को प्रस्तुत प्रा0पत्र में

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्लाट की सीमा उत्तर दक्षिण 34 फीट तथा पूर्व पश्चिम 10 फीट का अंकन किया। मौका रिपोर्ट जो वार्ड पंचों द्वारा तैयार की गई है उसमें उत्तर दक्षिण 34 फीट तथा पूर्व पश्चिम 10 फीट का अंकन है इसी अनुरूप जो आक्षेप प्रस्तावित विक्रय के संबंध में नोटिस जारी किया गया उस पर इसी अनुरूप सीमा है। किन्तु अदालत मातेहत के पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.17 में प्लाट की सीमा उत्तर से दक्षिण 10 फीट व पूर्व से पश्चिम 34 फीट का होना पारित किया है तथा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश के पश्चात जो पटटा संख्या 7 ग्राम पंचायत बांसटोरडा द्वारा जारी किया गया है उसके पृष्ठ भाग पर उत्तर से दक्षिण 34 फीट तथा पूर्व से पश्चिम 10 फीट अंकित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातेहत द्वारा जारी निर्णय व पटटा भिन्न–भिन्न है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायत कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में तैयार की गई है तथा जो विक्रय के संबंध में आपत्ति नोटिस क्रमांक 114 दिनांक 06.06.17 को जारी किया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.17 को जारी किया गया है जबकि नियमानुसार आपत्ति नोटिस में 30 दिवस पूर्ण होने की अवधि के पश्चात आदेश जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। इस प्रकार अदालत मातेहत ने पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ने दिनांक 05.06.2017 को अपना प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 05.06.17 को ही दुर्गासिंह पुत्र रमेश सिंह एवं ओमसिंह पुत्र गजराज सिंह का बयान का शपथ पत्र पेश किया है जबकि अदालत मातेहत की प्रस्तुत आदेशिका में दिनांक 05.06.17 को मौका रिपोर्ट तैयार करने के आदेश पारित किये गये है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी को जारी पट्टे में अंकित भूमि पर प्रार्थी निगरानीकर्ता शुरू से काबिज है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.17 व उसके आधार पर जारी किया गया पटटा शून्य आदेश की श्रेणी में आता है तथा शून्य आदेश से किसी भी पक्षकार को कोई भी हक व अधिकार अर्जित नहीं होता है। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.17 व उसके आधार पर जारी पटटा निरस्त फरमाया जावे।

वकील गैर निगरानीकार द्वारा बहस में वकील निगरानीकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि विवादित भूमि का गैर निगरानीकार पटटाधारक है। जिसको उक्त भूमि का पटटा ग्राम पंचायत बांसटोरडा द्वारा दिया गया है। यह कि तहत न्यायालय ने विधि–संवत् तरीके से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बयान लिया जाकर प्रार्थी के पक्ष में पटटा जारी किया गया है इसमें किसी भी प्रकार से पंचायत नियमो का कोई उल्लंधन नहीं हुआ है प्रार्थी ने गवाहो के बयान करवाये। प्रार्थी इस पर काबिज है। निगरानीकर्ता द्वारा गलत तथ्यों पर यह निगरानी पेश की है। जो कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में ग्राम पंचायत बांसटोरडा के आदेश दिनांक 05.07.2017 के द्वारा गैर निगरानीकार संख्या एक के पक्ष में जारी पटटा संख्या 7 दिनांक 05.07.2017 को खारिज करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गये है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 05.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 05.06.17 को ही दुर्गासिंह पुत्र रमेश सिंह एवं ओमसिंह पुत्र गजराज सिंह का बयान का शपथ पत्र पेश किया है जबकि अदालत मातेहत की प्रस्तुत आदेशिका में दिनांक 05.06.17 को मौका रिपोर्ट तैयार करने के आदेश पारित किये गये है एवं नियुक्त वार्ड पंचों की टीम द्वारा दिनांक 06.06.17 को मौका देखा गया तथा दिनांक 05.07.17 की आदेशिका में अंकन है कि आवेदनकर्ता ने अपने कब्जे के प्रमाण प्रस्तुत किये। जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार दिनांक 05.06.17 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दुर्गा सिंह पुत्र रमेश सिंह एवं ओम सिंह पुत्र गजराज सिंह का बयान का शपथ पत्र ही है। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या अप्रार्थी संख्या 1 ने जिस दिन प्रार्थना पत्र पेश किया उसी दिन दो गवाहान के बयान शपथ पत्र पेश किये यदि किये तो आदेशिका पर उसका अंकन एक माह बाद क्यों किया गया। यदि नहीं तो क्या उक्त दो गवाहान के बयान शपथ पत्र पर गलत तारीख अंकित है। ऐसी स्थिति में निगरानीकार का कथन कि सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायत कार्यालय में बैठकर एक ही दिन में तैयार की गई सही प्रतीत होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.17 को मौका रिपोर्ट पेश की गई तथा दिनांक 06.06.17 को ही नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 05.07.17 को (ठीक 30वें दिन) ही पटटा जारी किया गया जबकि नियमानुसार आपत्ति नोटिस में 30 दिवस पूर्ण होने की अवधि के पश्चात आदेश जारी किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 तथा उक्त आदेश के तहत जारी पटटा संख्या 7 दिनांक 05.07.2017 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर